(3)

C.R.No. 3522/25
Proceeding Amend Deo mins
dated 25/2/25

समक्ष : माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक– 2936 /05

अनंतदान मिंज, आयु–36 वर्ष,
आत्मज–श्री मुकुट अजयदान मिंज,
निवासी–भागलपुर जशपुर नगर,
जिला–जशपुर

याचिकाकर्ता

विरूद्ध

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
द्वारा : टेरीटरी मैनेजर रिटेल,
पी.ओ.एल. डीपो बिजली नगर,
जी.ई. रोड भिलाई–3, जिला–दुर्ग,
पिनकोड–490021 (छ.ग.)

2. विनयप्रकाश एक्का
3. सुभाषचंद्र भगत
4. सुभाष कुमार आर्यवर्ती
5. अनीष कुमार खाखा
6. लॅगडू प्रधान
7. श्रीमती राजकुमारी मरकाम
8. श्री आलोक टोप्पो
9. श्रवण कुमार सिंह
10. अजीत केरकेट्टा
11. श्री अल्लॉईस लकड़ा

(उत्तरवादीगण क्रमांक 2 से 11 के पूर्ण विवरण याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त उत्तरवादीगणों को सूचना पत्र जारी कराया जावेगा।)

उत्तरवादीगण

याचिका अंतर्गत् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227

XI-HC-78

(39)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

W.P.(R.) No.3528/05

मामला क्रमांक ..... **सन् 200**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	16-02-2006 None appears for the petitioner. The petitioner's counsel, despite granting time, has not yet furnished the addresses of respondents No.2 to 11. Finally, two weeks' time is granted to furnish the addresses of respondents No.2 to 11, failing which, the writ petition shall stand dismissed for non-prosecution without any further reference to the Court. Sd/- Chief Justice	16.6.06 This case is treated as dismissed for non compliance of peremptory order dated 16.2.06 (for details, note sheet part may kindly be seen) Sd/- Additional Registrar (Judicial)

Gopal